रजिस्टी सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257108 SG-DL-E-12092024-257108

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] दिल्ली बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946 [रा.रा.स.से.दि. सं. 182 No. 232] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946 [N. C. T. D. No. 182

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग

<u>अधिसूचना</u>

दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

फा. सं.7 /ईएम(बीएन) / सीआई / 12—13 / पार्ट—1 / 1198—1208.—जबिक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अन्तर्गत 20 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 3761(ई) के द्वारा क्षेत्र के —1 की क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में उपयोग भूमि को संशोधित / परिवर्तित किया गया था तथा परियोजना का नाम परिवर्तित करके 'औद्योगिक पार्क'' कर दिया गया था।

गया था। इसलिए, अब दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010 की घारा—2 की उप—घारा -K के अन्तर्गत प्रक्तियाँ का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना, फा.सं. 7/ईएम(बीएन)/सीआई/12—13/पार्ट—1/892—902 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण(डीआईडीओएम) अधिनयम, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण(डीआईडीओएम) अधिनयम, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली अौद्योगिक विकास प्रचालन तथा अनुरक्षण(डीआईडीओएम) अधिसूचना सं. एसओ 3716(ई) में उल्लिखित भूमि उपयोग के अनुसारं बापरोला प्रभाग), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.12.2013 की अधिसूचना सं. एसओ 3716(ई) में उल्लिखित भूमि उपयोग के अनुसारं बापरोला प्रभाग), औद्योगिकी क्षेत्र के 54.89 हैक्टेयर क्षेत्र को "औद्योगिकी पार्क" के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हैं।

5833 DG/2024

(1)

टीप :--

- चपयोग क्षेत्र "औद्योगिक" के भीतर अनुमत गतिविधियां दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार होगी।
- परियोजना के अन्य भूमि उपयोग पॉकेट में विकास मौजूदा दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार होगा।

राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, मनीष कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव(उद्योग)

INDUSTRIES DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 9th September, 2024

No. F. 7/EM(BN)/CI/12-13/Pt-1/1198-1208.—Whereas land use was modified /changed in respect of Zonal Development Plan of Zone K-I and name of project was changed to "Industrial Park" vide Notification No.3761(E) dated 20th December, 2013, under Master Plan of Delhi-2021 issued by Ministry of Urban Development, Govt. of India.

Therefore, now in exercise of powers conferred under sub section (k) of Section 2 of the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 and in supersession of Notification of this Government, F. No. 7/EM(BN)/CI/12 13/Pt.-1/892-902 dated 4th October, 2023, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby declares an area of 54.89 Hectare of Baprola Industrial Area to be developed as "Industrial Park" as per the land use mentioned in the Notification No. SO. 3716(E) dated 20.12.2013 issued by Ministry of Urban Development (Delhi Division) Govt. of India and under the provisions of Delhi Industrial Development, Operation & Maintenance (DIDOM) Act, 2010.

Note:

- The activities permitted within "Industrial" use zone will be strictly as per Master Plan of Delhi -2021.
- The development in other land use pockets of the project shall adhere to prevailing Master Plan of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, MANISH KUMAR GUPTA, Addl. Chief Secy.(Industries)